

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ललितपुर

पत्रांक 1735 / वि०वि०ख०द्वि०(ल०) / राजस्व

दिनांक 12/08/22

विषय:- पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी संयोजन हेतु नियम व शर्तें जारी करने के सम्बन्ध में।

श्री हरीराम

ग्राम: टेनगा जिला ललितपुर।

ललितपुर।

प्रोविजनल टी०सी०

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करें आपके द्वारा निजी संयोजन हेतु आवेदित भार-.....8..... अश्व शक्ति के सापेक्ष स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के साथ-साथ अनुबन्ध हेतु पत्र में दर्शायी गयी नियम व शर्तें पूर्ण की जानी है।

1- निम्नवत धनराशि का भुगतान करें।

क- सर्विस लाइन निर्माण व्यय

रु०..... 117282.00.....

ख- जमानत राशि

रु०..... 2400.00.....

कुल धनराशि

रु०..... 119682.00.....

- सौ रूपये के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर जिस पर 1/-रूपये का रेवेन्यू टिकट लगा हो, अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी दिन कार्य दिवस में दो गवाहों के साथ उपस्थित हों।
- भारतीय स्टेट बैंक के मद 0043 बिजली पर कर और शुल्क 102 भारतीय बिजली नियमावली के अन्तर्गत फीस रु० 1200.00.. जमा करें एवं चालान इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- मीटर डिक्लेरेशन फार्म-ए एवं बी० एण्ड एल० फार्म प्रस्तुत करें।
- उपभोक्ता द्वारा मोटर एवं शंट कैपिसिटर (के०वी०ए०आर० सहित) की खरीद मूल रसीद एवं मोटर प्लेट का पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें।
- अनुबन्ध के समय नवीन खसरा/खतौनी की प्रति तथा वी०डी०ओ० द्वारा प्रदत्त बोरिंग प्रमाण पत्र एवं आवेदक की दो नवीन ए-4 साईज फोटो के साथ किसी कार्य दिवस में कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समस्त उपस्थित हों।
- विद्युत भण्डार केन्द्र ललितपुर से सामग्री की दुलाई एवं लाइन निर्माण में मजदूरों की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं की जानी है।

जब तक सामग्री निर्गत नहीं होगी जबतक स्टीमेंट ईआरपी (ऑनलाइन प्रक्रिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा।

पैसा जमा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेंट ऑनलाइन प्रक्रिया से बना है या नहीं अगर नहीं तो पैसा जमा न करें।

नोट- यदि आप द्वारा नियम व शर्तें निर्गमन के 03 माह के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको संयोजन की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका स्वीकृत विद्युत भार बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक / वि०वि०ख०द्वि०(ल०) /

दिनांक

प्रतिलिपि:- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय/तृतीय/षष्ठम/सप्तम, ललितपुर/महरौनी/पाली/मडावरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता